राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या– 21/24/4235 **दिनांक–23.09.2021**

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

आज दिनांक 23.09.2021 को कोटा अंक के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि " **नयापुरा थाने में युवक ने 4 फीट ऊंचे एंगल पर फांसी लगाई, मौत–**परिजनों की शिकायत पर कमल को थाने लाए थे, उसने खुद की शर्ट से लगा ली फांसी, पुलिस कमल को पीटते–पीटते थाने ले गई, मां खाना देने गई तो बोल दिया–तेरा बेटा मर गया "

राज्य के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह अंकित किया गया है कि नयापुरा थाने की लॉकअप में बुधवार शाम को कमल लोधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह लॉकअप के गेट के एंगल से लटका मिला, जो चार फिट ऊंचा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी शाम करीबन 5:15 बजे कमल को पीटते–पीटते थाने ले गए। वहां उसे पहले से भी ज्यादा पीटा होगा या उसके साथ ऐसा काम किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मां जब उसे खाना देने गई तो पुलिस ने बोला कि तेरा बेटा मर गया।

RJ

मौजूदा मामले में कमल लोधा को परिजनों की शिकायत पर पुलिस द्वारा 5:15 पीएम पर पीटते–पीटते नयापुरा थाने लाया गया और थाने में लॉकअप के गेट के एंगल से युवक ने फांसी लगाई जिससे उससे मृत्यु हो गई, किसी भी व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा इस तरह मारपीट करना कि मारपीट से आहत होकर उसकी मृत्यु हो जाये यह मानव अधिकारों का खुला हनन है एवं इसकी इजाजत कानूनी रूप से कभी नहीं दी जा सकती है।

समाचार में प्रकाशित उपरोक्त तथ्यों को एवं तथ्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त खबर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है।

इस **आदेश की प्रतिलिपि महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेन्ज, कोटा, जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ पुलिस थाना–नयापुरा के किसी विज्ञ पुलिस अधिकारी के साथ एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जावे :–

1– क्या युवक कमल लोधा के विरूद्ध उसके परिजनों द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई थी।

2– जब कमल लोधा को पुलिस द्वारा पकडा गया, उसके पश्चात क्या उसका कोई मेडिकल कराया गया अथवा नहीं ?

RJ

3— जब युवक को पकडा गया तब क्या उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी अथवा नहीं ?

4— युवक समय 5:15 पीएम से 07:00 पीएम तक, यदि जीवत था तो उससे क्या पूछताछ की गई और पुलिस द्वारा क्या प्रक्रिया अमल में लाई गई।

प्रकरण में **आज ही नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश मय प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि के आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 29.09.2021 को पेश हो।

(न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

RJ

दैनिक भास्कर कोटा 23-09-2021

नयापुरा थाने में युवक ने 4 फीट ऊंचे एंगल पर फांसी लगाई, मौत

पुलिस : परिजनों की शिकायत पर कमल को थाने लाए थे, उसने खुद अपनी शर्ट से लगा ली फांसी

परिजन : पुलिस कमल को पीटते-पीटते थाने ले गई, मां खाना देने गई तो बोल दिया- तेरा बेटा मर गया

क्राइम रिपोर्टर | कोटा

नयापुरा थाने की लॉकअप में बुधवार शाम को कमल लोधा (25) निवासी मस्जिद चौक, नयापुरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो लॉकअप के गेट के एंगल से लटका मिला, जो चार फिट ऊंचा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी शाम करीब 5.15 बजे कमल को पीटते-पीटते थाने ले गए। वहां उसे पहले से भी ज्यादा पीटा होगा या उसके साथ ऐसा काम किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मां जब उसे खाना देने गई तो पुलिस ने बोला कि तेरा बेटा मर गया...। वहीं, पुलिस को घटना के बारे में तब पता चला, जब उसकी मां थाने में कमल को खाना देने आई। पुलिस ने बताया कि बुधवार को बुआ के लड़के व मां की शिकायत पर उसे थाने लाए थे, जहां शर्ट से फांसी लगाकर जान दे दी। अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इधर, उक्त मामले में न्यायिक जांच का प्रोसेस भी शुरू हो गया।

थाने के बाहर परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ जताया आक्रोष

मृतक कमल

नयापुरा थाने के बाहर विलाप करती पत्नी व परिजन।

थाने के बाहर रोती मृतक कमल की दोनों बेटियां।

कमल के खिलाफ पहले से 12 केस दर्ज : कमल लोधा ड्राइवर के असिस्टेंट के रूप में काम करता था। मृतक के दो छोटी बेटियां हैं। दादा, विधवा मां और पत्नी है। घर में पीछे अब कोई कमाने वाला नहीं रहा है। पुलिस के अनुसार कमल पर नयापुरा और जवाहर नगर थाने में 12 केस दर्ज है। जिसमें 3 चोरी, 1 नकबजनी, 2 मारपीट, 5 अवैध हथियार के हैं। उक्त मामलों में कुछ मामलों में उसे कोर्ट द्वारा सजा भी सुनाई गई थी।

इनसाइड स्टोरी : थाने में करीब 1.30 घंटे जीवित रहा कमल

नयापुरा पुलिस कमल को शाम 5.15 बजे थाने लाई थी। वहां लॉकअप में बैठाया, पुलिस दूसरे कामकाज में व्यस्त हो गई। मामले में कागजी कार्रवाई पूरी भी नहीं की थी। उसका नशे संबंधित मेडिकल करवाने अस्पताल ले जाना था, जो नहीं करवाया। कार्रवाई के बाद नियमानुसार गिरफ्तारी भी नहीं डाली। यह काम किए जाने थे, जो नहीं किए गए अथवा यूं कहें कि मौका ही नहीं मिला और इसके पहले ही कमल की करीब 7 बजे के आस-पास लॉकअप में मौत हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि करीब 1.30 घंटे वो थाने में जीवित रहा था। उसकी मौत के कैसे हुई और इसके क्या कारण रहे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायिक जांच के तथ्यों के सामने आने के बाद पुष्ट हो सकेगी।

हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी

कमल लोधा की हत्या के बाद क्षेत्रवासी थाने पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। थाने का घेराव किया और कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए और बैरिकेड लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया। लोग सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे, देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा।

मामले में 174 में मर्ग दर्ज कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया। यह न्यायिक जांच का विषय है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। **- विकास पाठक, एसपी सिटी**

पुलिस चोरों की तरह शव क्यों ले गई : गुंजल

कोटा उत्तर के पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल भी थाने के बाहर परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने सवाल पूछा कि लॉकअप में आत्महत्या की थी तो उसकी वीडियोग्राफी कराई क्या..? पुलिस चोरों की तरह शव को मोर्चरी में क्यों ले गई...? पुलिस थाने में ही लोगों को मार रही है।